

2660
A

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

विविध आदेश

क्रमांक 248 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 17/11/2025

कार्यालय विविध आदेश क्र0 242/दो-15-3/90 रीवा, दिनांक 08.11.2025 के द्वारा सुश्री कंचन सैनिक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की ओर से सिविल प्रकरणों से संबंधित प्रेषित सूची के आलोक में अन्य सिविल प्रकरणों के साथ RCS A के सरल क्रमांक 345 का प्रकरण क्र. आर.सी.एस.ए. 128/2025 पूर्णिमा शर्मा व्यास वि0 मध्यप्रदेश राज्य एवं एम.जे.सी. के सरल क्र. 35 एवं 36 का प्रकरण क्र. क्रमशः एम.जे.सी. 10/2014 केशव प्रसाद विरुद्ध जमुना सिंह एवं एम.जे.सी. 12/2024 कौशल्या विरुद्ध जमुना सिंह के विधिवत निराकरण हेतु श्रीमती सृष्टि चौरसिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में अंतरित किया गया था। पश्चात्तर्वर्ती उक्त न्यायाधीश की ओर से प्रेषित पत्र क्रमांक 29/2025 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा उपरोक्त सिविल प्रकरणों के अंतिम प्रक्रम पर नियत होने के कारण उनकी न्यायालय में ही रखे जाने का निवेदन किया गया है।

अतः श्री कंचन सैनिक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा किये गये निवेदन को दृष्टिगत रखते हुये विविध आदेश क्र0 242/दो-15-3/90 दिनांक 08.11.2025 के द्वारा श्रीमती सृष्टि चौरसिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में अंतरित प्रकरण क्र. आर.सी.एस.ए. 128/2025 पूर्णिमा शर्मा व्यास वि0 मध्यप्रदेश राज्य, एम.जे.सी. 10/2014 केशव प्रसाद विरुद्ध जमुना सिंह एवं एम.जे.सी. 12/2024 कौशल्या विरुद्ध जमुना सिंह को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री कंचन सैनिक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

Sd/-

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 17/11/2025

पृष्ठांकन क्रमांक 5701 /

दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा।
2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश।
3. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ रीवा, जिला रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

17/11/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)